न्यायालयः—उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,रायपुर (पाली)
पीठासीन अधिकारी :—श्री सुरेश कुमार आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या :— 124 / 2022
प्रकरण दर्ज तिथि :— 29.11.2022
जीसीएमएस नम्बर :— 2022 / 305

वादी
गोविन्द पुत्र मांगीराम जाति मेघवाल निवासी बर तहसील रायपुर जिला पाली

बनाम

प्रतिवादीगण

1. तहसीलदार (लैण्ड होल्डर) रायपुर तहसील कार्यालय, रायपुर

दावा बाबत् घोषणा वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं धारा 136 भू राजस्व अधिनियम

उपस्थित 1 श्री उदयराज पालड़िया अधिवक्ता वादीगण
2 सरकारी पैराकार उपस्थित

निर्णय

दिनांकः 20.12.2022

वादीगण की ओर से वकील श्री उदयराज पालड़िया द्वारा दावा बाबत् घोषणा वादपत्र धारा 88 राज. काश्त. अधि. एवं 136 भू राजस्व अधिनियम के तहत विरूद्ध प्रतिवादीगण न्यायालय में पेश किया गया है। वाद पत्र का संक्षिप्त विवरण यह है कि सरहद मौजा बर पटवार हल्का बर में वादग्रस्त आराजी के खसरा नम्बर 105 रकबा 0.0324 है. किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 731 रकबा 0.8984 है., बारानी अव्वल कुल खसरा 02 कुल रकबा 0.9308 है. तथा इसी प्रकार खसरा नम्बर 730 रकबा 1.2869 बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 732 रकबा 0.2023 है.किस्म बारानी दोयम, कुल खसरा 02 कुल रकबा 1.4892 स्थित हैं। जिसका वादी एकमात्र काबिज खातेदार काश्तकार हैं। वादी का सही नाम गोविन्द पुत्र मांगीराम जाति मेघवाल निवासी बर तहसील रायपुर जिला पाली, राजस्थान का हैं। इसी नाम से वादी को जाना व पहचाना जाता हैं। परन्तु गांव व घर में उसको स्नेह एवं लाड प्यार का नाम बगदाराम के नाम से भी संबोधित किया जाता हैं। जो केवल मात्र लाड व स्नेह से पुकारा जाता हैं। वादी का असली नाम गोविन्द पुत्र मांगीराम मेघवाल हैं। जो उसका दस्तावेजी नाम हैं एवं वादी के राशनकार्ड, आधारकार्ड, फोटो पहचान पत्र व विद्यालय रेकर्ड में वादी का नाम गोविन्द से ही बने हुए हैं। जो वादी का सही नाम हैं। वादी के खातेदारी दस्तावेज जमाबंदी में उसका नाम भूलवश व सहवन की भूल व त्रुटि से बगदाराम व बगदा का इन्द्राज कर दिया गया हैं। जो कि एक लिपिकिय भूल है। अब वादी को अपने नाम से किसान केडिट कार्ड बनवाने की जरूरत हुई। तब उसके नाम का सही इन्द्राज नहीं होने एवं जमाबंदी व उसके नाम के दस्तावेज में विरोधाभास होने से वादी को अनेकों प्रकार की परेशानियों उत्पन्न हो रही हैं। दिनांक 16.11.2022 को पटवार हल्का बर से निवेदन करने पर, पटवारी द्वारा वादी को बताया गया कि वह

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (पाली)

पर राजस्व रेकर्ड के सरहद मौजा बर पटवार हल्का बर भू अभिलेख निरीक्षक बर में वादग्रस्त आराजी के खसरा नम्बर 105 रकबा 0.0324 है. किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 731 रकबा 0.8984 है., बारानी अव्वल कुल खसरा 02 कुल रकबा 0.9308 है. तथा इसी प्रकार खसरा नम्बर 730 रकबा 1. 2869 बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 732 रकबा 0.2023 है.किस्म बारानी दोयम, कुल खसरा 02 कुल रकबा 1.4892 दर्ज बगदा उर्फ बगदाराम पुत्र मांगीलाल के स्थान पर गोविन्द पुत्र मांगीराम दर्ज किये जाने के आदेश दिया जाना न्यायोचित समझते है।

आदेश

अतः वादीगण का वाद बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर सरहद मौजा बर पटवार हल्का बर भू अभिलेख निरीक्षक बर में वादग्रस्त आराजी के खसरा नम्बर 105 रकबा 0.0324 है. किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 731 रकबा 0.8984 है., बारानी अव्वल कुल खसरा 02 कुल रकबा 0.9308 है. तथा खसरा नम्बर 730 रकबा 1.2869 बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 732 रकबा 0.2023 है.किस्म बारानी दोयम, कुल खसरा 02 कुल रकबा 1. 4892 दर्ज बगदा उर्फ बगदाराम पुत्र मांगीलाल के स्थान पर गोविन्द पुत्र मांगीराम नाम दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाकर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तदानुसार डिक्री पर्चा बनाया जाकर पालना हेतु तहसीलदार रायपुर को प्रेषित किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

(सुरेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (पाली)

यह निर्णय आज दिनांक 20.12.2022 को सरे इजलास में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (पाली)

(ऑर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix "d" –1)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, रायपुर

बईजलास :– श्री सुरेश कुमार आर.ए.एस.

वादी

गोविन्द पुत्र मांगीराम जाति मेघवाल निवासी बर तहसील रायपुर जिला पाली

बनाम

प्रतिवादीगण

1. तहसीलदार (लैण्ड होल्डर) रायपुर तहसील कार्यालय, रायपुर

दावा बाबत् घोषणा वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 राज. काश्त. अधि. एवं धारा 136 भू राजस्व अधिनियम

राजस्व वाद 124 / 2022

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतईरूबरू हमारे व हाजरी श्री उदयराज पालड़िया अधिवक्ता वादीगण मिनजानिब मुदईव प्रतिवादीगण मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है अतः वादीगण का वाद बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर सरहद मौजा बर पटवार हल्का बर भू अभिलेख निरीक्षक बर में वादग्रस्त आराजी के खसरा नम्बर 105 रकबा 0.0324 है. किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 731 रकबा 0.8984 है., बारानी अव्वल कुल खसरा 02 कुल रकबा 0.9308 है. तथा इसी प्रकार खसरा नम्बर 730 रकबा 1.2869 बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 732 रकबा 0.2023 है.किस्म बारानी दोयम, कुल खसरा 02 कुल रकबा 1.4892 दर्ज बगदा उर्फ बगदाराम पुत्र मांगीलाल के स्थान पर गोविन्द पुत्र मांगीराम नाम दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाकर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

नीज....................×................मुबलिक..............×.............बाबत्............×............. खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....×...............फीस सदी सालाना आज तारीख वसूल याबी तक ....×.........................को अवा करे।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 20.12.2022 को जारी किया गया।

(सुरेश कुमार)

उपखण्ड अधिकारी एवं

पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (पाली)

मुद्दई		रूपया	पै.	मुद्दयलह		रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जीनामा	–	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	–	02	00
स्टाम्प वकालतनामा	–	02	00	स्टाम्प हाजरी	–	00	00
स्टाम्प वजह सबूत	–	00	00	मेहनताना वकील पर	–		
मेहनताना वकील	–			खर्चा गवाहान	–		
खर्चा गवाहान	–			फीस कमिश्नर	–		
फीस कमिश्नर	–			बाबत इजराय हुक्मनामा	–		
बाबत इजराय हुक्मनामा	–			मुतफरिक	–		
मुतफरिक	–	02	00	मीजान		00	00
मीजान			00			02	00

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो नही दर्ज किया जावें।